न्यायालय उपखण्ड ....अधिकारी............ कठूमर जिला अलवर

न. ....2/150/2019 तारीख रजू..........8/8/19..........

कैलाश **बनाम** सोहनलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 137, रकवा 0.46 वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में सायलान के 2/5 हिस्से के सयुक्त कब्जे काश्त मे किसी तरह कि रुकावट व मजरहमत पैदा ना करे तवरन वेदखल कर खुद कब्जा न करे तथा उथ्त आराजीके किसी भी हिस्से पर कच्चा पक्का निर्माण ना करे । मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे । अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 11.10.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 20.09.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) अनुपालना फरीकैन एच०/P.O. बाबत ...... पत्रावली दिनांक 22/11/19 को पेश हो।	587 13-9-19
22/11/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से श्री घनश्याम शर्मा ने VT की गई। वकालतनामा। जबाव को समय चाहते हैं। शेष अप्रार्थी की पुनः हेतु तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 17/1/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/10/22	वकुलाय .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 15/10/22 की पालना में पत्रा भी आसे ...... शेष की तलबी दिनांक 3/11/22 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
3/11/22	.... वकुलाय .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा भी आसे ...... शेष की तलबी दिनांक 8/11/22 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
3/11/22	वकुलाय .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... 15/10/22 की पालना में पत्रा भी आसे ...... शेष की तलबी दिनांक 10/11/22 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/11/22	वकुलाय उपस्थित प्रार्थी धन्नाराम प्रतिलिपि 3 पेज व 8 [illegible] उपस्थित नहीं अतः खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई वास्ते आदेश तिथि 18/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
18/11/22	वकुलाय उपस्थित। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धन्नाराम साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र धन्नाराम [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील [illegible] को साथ संलग्न रहे। सुनाया। SDO उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/150/2019

वउनवान

1. कैलाश पुत्र दौजी जाति जोगी निवासी खेरलीरेल
2. गोपाल पुत्र दौजी जाति जोगी निवासी खेरलीरेल

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति वैश्य निवासी खेरली
2. अशोक पुत्र कपूर जाति वैश्य निवासी खेरली
3. उदेश पुत्री कपूर जाति वैश्य निवासी खेरली
4. सतीश पुत्र मूलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली
5. राजेश पुत्र मुलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली
6. गणपत पुत्र मूलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली
7. औमप्रकाश पुत्र मूलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली
8. मनोज पुत्र मूलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली
9. उमेश पुत्र मूलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली
10. चन्द्रभूशण पुत्र मूलचन्द जाति वैश्य निवासी खेरली

तहसील कठूमर जिला अलवर

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—श्री भागचन्द जैन—अधिवक्ता सायलान की ओर से

आदेश दिनांक 18.11.2022

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 137 रकवा 0.46 हे. ग्राम खेरलीरेलतहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की भाामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायलान भाामलात में काविज रहकर का त कर रहे है। सायलान का विवादित आराजी में 2/5 हिस्सा है तथाभोश गैरसायलान की भाामलात कब्जे का त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायलान एंव गैरसायलान के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर भाामलात में का त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में भाामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुझें विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर भाामलात में का त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही प्लाट बनाकर मनचाहे तरीके से दीगर लोगों को बेचान कर कब्जा करायेगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1–2–9–10 दिनांक 14.10..2022 को व गैरसायल सं0 3 ला0 8 दिनांक 10.11.2022 को बाबजूद सूचना उपस्थित नही आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम खेरलीरेल की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायलान की एकपक्षिय वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा उक्त आराजी में प्लाट बनाकर मनचाहे तरीके से दीगर लोगों को वेचान करना चाहते है यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अधिवक्ता सायलान ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर आर आर डी–14.08.2012 पेज 523 से 526 की छाया प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड छाया प्रति कानूनी नजीर का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। जिसके अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं आये। अतः विवादित आराजी का सायलान एंव गेरसायलान की शामलात खातेदारी व अवट होने का अनुमान किया जाता है। सायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। हिस्सानुसार सायलान का विवादित आराजी पर कब्जा प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गेरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

लोगों को रहन वय कर देगें तथा सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करेगें। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। सायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा होती है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 137 रकवा 0.48 हे. वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में सायलान के 2/5 हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा ना करे तथा दीगर व्यक्ति को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल ना करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आज दिनांक 18.11.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)